CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

फार्म–डी

न्यायालयः–विशेष न्यायाधीश (एन० आई०ए० एक्ट/अनुसूचित अपराध राजस्व जिला–सुकमा एवं बीजापुर) स्थान दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) (पीठासीन अधिकारीः–धीरेन्द्र प्रताप सिंह दाँगी)
निर्णय दिनांकः–10/07/2026
एन०आई०ए० अनुसूचित अपराध प्रकरण क्रमांकः–33/2025 **सी०एन०आर०:–CGDA010005222025** **थानाः–गंगालूर, जिला–बीजापुर, अपराध क्रमांकः–53/2024** **संस्थित दिनांकः–11/07/2025**

अभियोजन	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केंद्रः–गंगालूर जिलाः–बीजापुर (छ०ग०)
अभियोजन द्वारा	श्रीमती ममता शर्मा, विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त	(01) मंगल उईका पिता बुधु उईका, आयु–38 वर्ष, निवासी–कमकानार तेलंगापारा, थाना–गंगालूर, जिला–बीजापुर (छ०ग०) **(अभियुक्त क्रं०–01)** (02) गोपाल बोड्डू पिता बुधु, आयु–47 वर्ष, निवासी–कमकानार, थाना–गंगालूर, जिला–बीजापुर (छ०ग०)**(अभियुक्त क्रं०–02)**
अभियुक्तगण द्वारा	श्री शेख सलीम पाशा अधिवक्ता **(अभियुक्त क्रं०–01 एवं 02)**

फार्म–ई

घटना दिनांक	22/12/2024 से दिनांक 23/12/2024 के मध्य
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	23/12/2024
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	11/07/2025
आरोप विरचित दिनांक	04/08/2025
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	16/10/2025
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने की तिथि	09/07/2026

CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

निर्णय दिनांक	10/07/2026
दण्डादेश दिनांक यदि हो तो	–

<u>अभियुक्त का विवरण</u>

क्रं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	आरोप	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि	दण्डादेश	धारा 468 भा०ना०सु०सं० के प्रयोजन हेतु अभिरक्षा
01	**मंगल उईका**	14/01/2025	गिरफ्तारी दिनांक से निर्णय दिनांक तक निरन्तर अभिरक्षा में निरूद्ध	धारा 191(3), 140 (1) सहपठित धारा 190, 103(1) सहपठित धारा 190 भा०न्या०सं०, धारा 25 (1–ख)(क) एवं धारा 16 (1)(क), 38 (2) वि०वि०क्रि०नि० अधि०	**दोषमुक्त**	निरंक	541 दिवस
02	**गोपाल बोड्डू**	16/04/2025	गिरफ्तारी दिनांक से निर्णय दिनांक तक निरन्तर अभिरक्षा में निरूद्ध	धारा 191(3), 140 (1) सहपठित धारा 190, 103(1) सहपठित धारा 190 भा०न्या०सं०, धारा 25 (1–ख)(क) एवं धारा 16 (1)(क), 38 (2) वि०वि०क्रि०नि० अधि०	**दोषमुक्त**	निरंक	450 दिवस

CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

फार्म–एफ

अनुक्रमणिका

क्रं०	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय का शीर्षक	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3	आरोप	7-8
4	स्वीकृत तथ्य	8
5	अभियोजन कहानी	9-11
6	परीक्षित साक्षियों की सूची	3-4
7	प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची	4-6
8	भौतिक वस्तुओं/मुद्दामाल की सूची	6-7
9	सकारण निष्कर्ष	12-22
10	दण्डादेश	--
11	अभिरक्षा अवधि	24-25
12	संपत्ति का निराकरण	22
13	प्रतिकर का आदेश	-
14	धारा 468 भा०ना०सु०सं० का प्रमाण पत्र	24-25
15	सजा वारंट	--
16	निर्णय की प्रति	3

परीक्षित साक्षियों की सूची

अभियोजन–

अभियोजन साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	विवरण
अ०सा०–01	सुक्कू हेमला	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

अ०सा०–02	सन्तू हेमला	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अ०सा०–03	सन्नू हेमला	प्रार्थी साक्षी
अ०सा०–04	लक्कू हेमला	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अ०सा०–05	डॉ० शिरीष कुमार	चिकित्सकीय साक्षी
अ०सा०–06	राजेन्द्र तेलम	मेमोरेण्डम साक्षी
अ०सा०–07	विनीत कुमार साहू	विवेचक साक्षी
अ०सा०–08	गिरीश तिवारी	कायमीकर्ता/विवेचकसाक्षी
अ०सा०–09	रामाराम नेताम	वीडियोग्राफी साक्षी
अ०सा०–10	चौबे सिंह ठाकुर	मेमोरेण्डम साक्षी
अ०सा०–11	पुरूषोत्तम बिसेन	पटवारी नजरी नक्शा साक्षी

बचाव–

बचाव साक्षी क्रमांक	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
	निरंक	

<u>प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची</u>

अभियोजन–

प्रदर्श क्रमांक	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा प्रमाणित/अनुप्रमाणित**
प्र०पी०–01	साक्षी सुक्कू हेमला का पुलिस कथन	अ०सा०–01
प्र०पी०–02	साक्षी सन्तू हेमला का पुलिस कथन	अ०सा०–02
प्र०पी०–03	साक्षी सन्नू हेमला का पुलिस कथन	अ०सा०–03
प्र०पी०–04	साक्षी लक्कू हेमला का पुलिस कथन	अ०सा०–04
प्र०पी०–05	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	अ०सा०–05

CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

प्र०पी०–06 (त्रुटिवश पुनः प्र०पी०–05 अंकित, जिसे प्र०पी०–06 के रूप में पढ़ा जा रहा है)	अभियुक्त मंगल उईका का मेमोरेण्डम कथन	अ०सा०–06
प्र०पी०–07	अनुसंधान अधिकारी नियुक्ति आदेश	अ०सा०–07
प्र०पी०–08	नजरी नक्शा	अ०सा०–07
प्र०पी०–09	तहसीलदार गंगालूर को पटवारी नक्शा प्रदाय किये जाने बाबत प्रेषित पत्र	अ०सा०–07
प्र०पी०–10	अभियुक्त मंगल उईका का गिरफ्तारी पत्रक	अ०सा०–07
प्र०पी०–11	अभियुक्त गोपाल बोड्डू का गिरफ्तारी पत्रक	अ०सा०–07
प्र०पी०–12	फरार अभियुक्तगण के आपराधिक रिकार्ड की जानकारी हेतु पुलिस अधीक्षक बीजापुर को प्रेषित ज्ञापन	अ०सा०–07
प्र०पी०–13	फरार अभियुक्तगण के आपराधिक रिकार्ड की जानकारी	अ०सा०–07
प्र०पी०–14	प्रोडक्शन वारंट हेतु न्यायालय को प्रेषित ज्ञापन	अ०सा०–07
प्र०पी०–15	वि०वि०क्रि०नि०अधि० एवं आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जान बाबत जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर बीजापुर को प्रेषित ज्ञापन	अ०सा०–07
प्र०पी०–16	वि०वि०क्रि०नि०अधि० अधिनियम के अंतर्गत गृह विभाग से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त किये जाने बाबत पुलिस अधीक्षक बीजापुर को प्रेषित ज्ञापन	अ०सा०–07
प्र०पी०–17	पुलिस अधीक्षक बीजापुर द्वारा अवर सचिव गृह विभाग नवा रायपुर को वि०वि०क्रि०नि०अधि० के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्रदाय किये जाने	अ०सा०–07

CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

	बाबत प्रेषित ज्ञापन	
प्र०पी०–18	अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव	अ०सा०–07
प्र०पी०–19	मर्ग इंटीमेशन	अ०सा०–08
प्र०पी०–20	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अ०सा०–08
प्र०पी०–21	नजरी नक्शा	अ०सा०–08
प्र०पी०–22	नोटिस अंतर्गत धारा 175 दं०प्र०सं०	अ०सा०–08
प्र०पी०–23	नक्शा पंचायतनामा	अ०सा०–08
प्र०पी०–24	कर्तव्य प्रमाणपत्र	अ०सा०–08
प्र०पी०–25	जप्ती पत्रक	अ०सा०–08
प्र०पी०–26	शव करने परीक्षण करने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगालूर को प्रेषित ज्ञापन	अ०सा०–08
प्र०पी०–27	प्रमाणपत्र अंतर्गत धारा 63 (4)(ग)	अ०सा०–09
प्र०पी०–28	प्रमाणपत्र अंतर्गत धारा 63 (4)(ग)	अ०सा०–09
प्र०पी०–29	हैश वैल्यू रिपोर्ट	अ०सा०–09
प्र०पी०–30	पटवारी नजरी नक्शा	अ०सा०–11

बचाव–

प्रदर्श क्रमांक	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा प्रमाणित/अनुप्रमाणित**
	निरंक	

<u>भौतिक वस्तुओं/मुद्दामाल की सूची</u>

अभियोजन–

भौतिक वस्तु (M.O.) क्रमांक	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा प्रमाणित/अनुप्रमाणित**
आर्टि०ए–1	नक्सली पर्चा	अ०सा०–07
आर्टि०ए–2	वि०वि०क्रि०नि०अधि० के अंतर्गत जारी अधिसूचना की सत्यापित प्रति	अ०सा०–07
आर्टि०ए–2 ए (त्रुटिवश पुनः	सी०डी०	अ०सा०–09

CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

आर्टि०ए–2 अंकित, जिसे आर्टि०ए–2 ए के रूप में पढ़ा जा रहा है)		

बचाव–

भौतिक वस्तु (M.O.) क्रमांक	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा प्रमाणित/अनुप्रमाणित**
निरंक		

1) अभियुक्तगण के विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता 2023 (जिसे अत्र पश्चात निर्णय में भा०न्या०सं० कहा गया है) की धारा 191(3), 140(1) सहपठित धारा 190, 103(1) सहपठित धारा 190, आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात निर्णय में आयु०अधि० कहा गया है) की धारा 25 (1–ख)(क) एवं विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (जिसे अत्र पश्चात निर्णय में वि०वि०क्रि०नि०अधि० कहा गया है) की धारा 16 (1)(क), 38 (2)** के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22/12/2024 के समय 17:30 बजे से दिनांक 23/12/2024 के समय 07:30 बजे के मध्य, स्थान–ग्राम रेड्डी सूखा तालाब के मेड़ से नीचे जंगल झाड़ी के पास, थाना–गंगालूर, जिला–बीजापुर (छ०ग०) में अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधिविरूद्ध जमाव का गठन कर ऐसे विधिविरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में जिसका सामान्य उद्देश्य "मृतक मुकेश हेमला की हत्या करने" का था और उक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुध से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया तथा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधिविरूद्ध जमाव का गठन कर ऐसे विधिविरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए जमाव के सामान्य उद्देश्य "मृतक मुकेश

हेमला की हत्या करने के आशय से अपहरण करने" के अग्रसरण में मृतक मुकेश हेमला की हत्या करने के आशय से उसे बलपूर्वक ले जाकर अपहरण कारित किया तथा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधिविरूद्ध जमाव का गठन कर ऐसे विधिविरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए जमाव के सामान्य उद्देश्य "मृतक मुकेश हेमला की हत्या करने" के अग्रसरण में मृतक मुकेश हेमला को टंगिया एवं चाकू से मारकर उसकी साशय मृत्यु कारित कर हत्या कारित किया तथा बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में अग्नायुध को रखा था तथा प्रतिबंधित आतंकी संगठन भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सक्रिय सदस्य रहकर आतंकवादी कृत्य अर्थात भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या सम्प्रभुता को संतर्जित करने के आशय से या जिसका उसे संतर्जित करना संभाव्य है अथवा भारत में अथवा लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के आशय से घातक आयुध से सुसज्जित होकर मृतक मुकेश हेमला की हत्या कारित किया तथा आतंकवादी संगठन भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) के अग्रसर क्रियाकलापों के आशय से संबंधित होने या संबंधित होने की प्रव्यंजना कर संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध कारित किया।

2) प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण के अन्य अभियुक्त मंगल बोड्डू उर्फ नरसू, पोदिया बोड्डू उर्फ लक्ष्मैया, टिबरू माड़वी, रामा माड़वी, राजू माड़वी, रीना सलाम उर्फ कुमली माड़वी, लखमू उर्फ लक्खू उर्फ कोया, लखमू उर्फ लक्खू उर्फ परणाम हेमला, लखमू उर्फ लक्खू उर्फ डोग्गा हेमला, सुखराम हेमला, जग्गू कलमू उर्फ जगदीश, शिव यादव, कमलू हेमला, मनोज हेमला, जिला ओयाम के संबंध में धारा 193 (9) भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत विवेचना जारी रखते हुये शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। निर्णय अभियुक्त मंगल उईका, गोपाल बोड्डू के संबंध में किया जा रहा है।

3) **अभियोजन कथानक संक्षिप्त में इस प्रकार है कि–**

3.1) प्रार्थी सन्नू हेमला निवासी कमकानार ने थाना गंगालूर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 22/12/2024 को रविवार के दिन ग्राम रेड्डी का साप्ताहिक बाजार होने से गुनापारा स्थित अपने घर से लगभग 03:00 बजे मुर्गा लड़ाई देखने गया था। प्रार्थी का पुत्र मुकेश लगभग आधा घंटा पहले मुर्गा लेकर साप्ताहिक बाजार रेड्डी के लिये निकला था। प्रार्थी और उसका पुत्र मुर्गा बाजार पहुंचकर मुर्गा लड़ाई देख रहे थे। ग्राम कमकानार के भा०क०पा० माओवादी नक्सली संगठन से जुड़े गोपाल बोड्डू, मंगल बोड्डू, पोदिया बोड्डू, टिबरू माड़वी, रामा माड़वी, राजू माड़वी भी वहीं पर मुर्गा लड़ाई देख रहे थे। उक्त व्यक्ति अचानक उसके पुत्र के हाथों को पकड़कर खींचते हुये चोखनपाल जंगल की ओर ले जाने लगे, तब प्रार्थी एवं मुर्गा बाजार में उपस्थित अन्य गांव के लोगों ने उसके पुत्र को ले जाने का विरोध किया और कुछ दूरी तक उनके पीछे गये। कुछ दूरी पर नक्सली संगठन से जुड़े अन्य अभियुक्त लखमू उर्फ कोया, लखमू उर्फ परणाम हेमला, लखमू उर्फ डोग्गा हेमला, सुखराम हेमला, जग्गू कलमू, शिव यादव, कमलू हेमला, मनोज हेमला, रीना सलाम, जिला ओयाम अपने–अपने हाथों में छूरी, टंगिया, चाकू रखकर खड़े थे। वे लोग बोले कि तुम्हारा बेटा पुलिस मुखबिरी का काम कर रहा है और हमारे बारे में पुलिस को खबर देकर हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इसके पीछे आओगे तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। उक्त धमकी से डरकर प्रार्थी और अन्य ग्रामीण सभी अपने–अपने घर आ गये। घटना के बारे में अपने छोटा पुत्र प्रसाद हेमला को बताया, जिसके बाद ग्राम कमकानार से उसका पुत्र प्रसाद हेमला, भाई दिनेश हेमला, नाती विशाल, भतीजा संतोष बड़े पुत्र मुकेश को खोजने ग्राम रेड्डी की ओर गये, नहीं मिलने पर रात्रि होने के कारण घर वापस आ गये।

CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

3.2) दिनांक 23/12/2024 को ग्राम रेड्डी के ग्रामीणों से मालूम पड़ा कि उसके पुत्र मुकेश को मार दिये हैं और उसका शव ग्राम रेड्डी के सूखा तालाब मेड़ से नीचे जंगल झाड़ी के पास पड़ा है। मोहल्ले वालों के साथ जाकर देखा तो उसके पुत्र के शव के ऊपर सफेद कागज में लाल रंग से लिखा हुआ भा०क०पा०(माओवादी) का पर्चा पड़ा था, जिसमें मुकेश को पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाकर गंगालूर एरिया कमेटी भा०क०पा० (माओवादी) द्वारा मौत की सजा दिया जाना लिखा गया था। नक्सलियों द्वारा उसके पुत्र की टंगिया, छूरी, चाकू से मारकर हत्या की है। प्रार्थी की मौखिक सूचना पर थाना गंगालूर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी, साक्षियों का कथन लेखबद्ध किया गया। शव पंचनामा तैयार किया गया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। घटनास्थल का पटवारी नजरी नक्शा प्राप्त किया गया। घटनास्थल से नक्सली पर्चा, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी जप्त किया गया। खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी का एफ०एस०एल० परीक्षण कराया गया।

3.3) प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त मंगल उईका, गोपाल बोड्डू को गिरफ्तार कर मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया। मेमोरेण्डम कथन में अभियुक्त मंगल उईका द्वारा घटना में सम्मिलित होना स्वीकार किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण के गिरफ्तार एवं फरार अभियुक्तगण माओवादियों के विरूद्ध कलेक्टर बीजापुर एवं छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। फरार अभियुक्तगण की पतासाजी का हर संभव प्रयास करने पर भी कुछ पता न चलने पर फरारी पंचनामा तैयार कर चल–अचल संपत्ति की जानकारी तहसीलदार से प्राप्त कर संलग्न की गयी। अन्य अभियुक्तगण के फरार रहने से धारा

193(9) भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत अभियोग पत्र पेश करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक जगदलपुर से लिखित में अनुमति प्राप्त की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर अभियोग पत्र क्रं० 15/2025 दिनांक 11/07/2025 तैयार कर विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

4) अभियुक्तगण के विरूद्ध **भा०न्या०सं० की धारा 191(3), 140(1) सहपठित धारा 190, 103(1) सहपठित धारा 190, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ख)(क) एवं वि०वि०क्रि०नि०अधि० की धारा 16 (1)(क), 38 (2)** के अंतर्गत आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर उन्होंने आरोपित अपराध किया जाना अस्वीकार किया तथा विचारण किये जाने का निवेदन किया।

5) अभियोजन द्वारा अपने मामले को प्रमाणित किये जाने हेतु कुल 11 साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। धारा 351 भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत अभियुक्तगण का परीक्षण किये जाने पर उन्होने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना व्यक्त किया है।

6) **इस प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं –**

01– "क्या अभियुक्तगण ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बलवा कारित किया है ?"

02– "क्या अभियुक्तगण ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मृतक मुकेश हेमला का अपहरण कर टंगिया एवं चाकू से मारकर हत्या कारित किया है ?"

CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

03– "क्या अभियुक्तगण ने अपने आधिपत्य में अवैध अग्नायुध रखा है ?"

04– "क्या अभियुक्तगण ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सक्रिय सदस्य रहकर आतंकवादी कृत्य कर मृतक मुकेश हेमला की हत्या कारित किया तथा उक्त संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध कारित किया है ?"

//साक्ष्य विवेचना तथा सकारण निष्कर्ष//

//विचारणीय प्रश्न क्रं० 01 से 04 के संबंध में साक्ष्य विवेचना//

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7) लोक अभियोजक की ओर से तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को सभी आरोपो में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है।

8) अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया है। मेमोरेण्डम कथन के साक्षियों ने कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्तगण को सभी आरोपों से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

9) अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभियुक्तगण द्वारा ली गयी प्रतिरक्षा एवं तर्क के आधार पर प्रकरण की विवेचना की जा रही है।

10) प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाना है कि मृतक मुकेश हेमला की मृत्यु की प्रकृति आपराधिक मानववध है अथवा नहीं ?

11) उक्त संबंध में प्रकरण के प्रार्थी सन्नू हेमला अ०सा०–03 ने अपने अभिकथन में बताया है कि उसने अपने पुत्र की मृत्यु के संबंध में थाना गंगालूर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुक्कू हेमला अ०सा०–01 ने अपने अभिकथन में बताया है कि उसके भतीजे प्रसाद हेमला ने आकर बताया कि साप्ताहिक बाजार रेड्डी में नक्सलियों ने मुकेश हेमला की हत्या कर दी है। उक्त संबंध में विवेचक गिरिश तिवारी अ०सा०–08 ने अपने अभिकथन में बताया है कि दिनांक 23/12/2024 को प्रार्थी सन्नू हेमला की सूचना पर मृतक मुकेश हेमला की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन प्र०पी०–19 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–20 लेखबद्ध किया था। उसी दिनांक को मृत्यु जांच में उपस्थित होने हेतु साक्षियों को नोटिस अंतर्गत धारा 175 दं०प्र०सं० प्र०पी०–22 दिया था। साक्षियों की उपस्थिति में नक्शा पंचायतनाता प्र०पी०–23 तैयार किया था। मृतक के शव परीक्षण हेतु आवेदन प्र०पी०–26 प्रेषित किया था।

12) मृतक का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सकीय साक्षी डॉ० शिरीष कुमार अ०सा०–05 ने अपने अभिकथन में बताया है कि दिनांक 23/12/2024 को मृतक मुकेश हेमला का शव परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया था। शव के बाह्य परीक्षण करने पर पाया कि शव चित्त अवस्था में थी, दोनों हाथ सीधे पोस्टमार्टम टेबल पर लेटा हुआ था। मृतक का गला कटा हुआ और उसकी श्वास नली दिख रही थी एवं कटी हुयी थी। गले की रक्त वाहिनियां भी कटी हुयी थी। शव के हाथ और पैर में अकड़न मौजूद था। मृतक के शव पर एक घोंपे हुये चोट का निशान था, जिसका आकार 4 X 1 X 1 से०मी० तथा नाभी के पास एक घोंपा हुआ घाव था, जिसका

आकार 4 X 3 X 1 से०मी० था। शव के पीठ में तीन घोंपे हुये घाव थे, जिनका आकार क्रमशः 4 X 3 X 3 से०मी०, 3 X 3 X 3 से०मी०, 3 X 2 X 2 से०मी० था। शव का आंतरिक परीक्षण करने पर पाया कि शव की आंतो को कटा हुआ था तथा ग्रास नली एवं श्वास नली को भी कटा हुआ था। मृतक के शेष आंतरिक अंग सामान्य था। मृतक की मृत्यु शरीर से बहुत ज्यादा रक्तस्त्राव होने के कारण हुयी थी, जिसकी प्रकृति हत्यात्मक थी, जो उसके पोस्टमार्टम करने के 12 से 24 घंटे पूर्व की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र०पी०–05 है।

13) बचाव पक्ष द्वारा चिकित्सकीय साक्षी डॉ० शिरीष कुमार अ०सा०–05 के अभिकथन को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। डॉ० शिरीष कुमार अ०सा०–05 ने अपने अभिकथन में मृतक की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना उल्लेखित किया गया है। मृतक को आयी चोटों की प्रकृति को देखते हुये भी मृतक की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना दर्शित होता है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुक्कू हेमला अ०सा०–01 ने भी मृतक की हत्या नक्सलियों द्वारा किया जाना बताया गया है। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से मृतक मुकेश हेमला की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना प्रमाणित पाया जाता है। अतः मृतक मुकेश हेमला की मृत्यु, हत्या की श्रेणी में आने वाला आपराधिक मानववध होना प्रमाणित पाया जाता है।

14) अब इस प्रश्न पर विचार किया जाना है कि मृतक मुकेश हेमला की हत्या अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी है अथवा नहीं। उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से दो प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। अभियोजन द्वारा उक्त संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अभियोजन द्वारा प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्रकरण के प्रार्थी सन्नू हेमला अ०सा०–03 ने अपने अभिकथन में बताया

कि वह अभियुक्तगण को गांव का होने के कारण पहचानता है। उसके पुत्र मुकेश हेमला की मृत्यु 6 माह पूर्व हो गयी थी। उसने अपने पुत्र की मृत्यु के संबंध में थाना गंगालूर में मर्ग इंटीमेशन दर्ज नहीं कराया था। प्रार्थी ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर घटना दिनांक को अपने पुत्र मुकेश हेमला के साथ मुर्गा लड़ाई देखने ग्राम रेड्डी जाने की बात स्वीकार की है, किन्तु मुर्गा लड़ाई देखने के दौरान अभियुक्तगण सहित अन्य नक्सलियों द्वारा मृतक को पकड़कर ले जाकर हत्या कारित किये जाने के सुझाव से इंकार किया है। प्रकरण के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुक्कू हेमला अ०सा०–01 ने अपने अभिकथन में बताया है कि मृतक मुकेश हेमला की हत्या किन नक्सलियों ने की थी, उसे जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने घटना के बारे में कोई जानकारी होने से इंकार किया है।

15) अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सन्तू हेमला अ०सा०–02 ने अपने अभिकथन में बताया है कि उसके छोटे भाई मुकेश हेमला की हत्या किन नक्सलियों ने की थी, उसे जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अभिकथन नहीं किया है। अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी लक्कू हेमला अ०सा०–04 ने अपने अभिकथन में बताया है कि उसके भतीजे मुकेश हेमला की हत्या किन नक्सलियों ने की थी, उसे जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

16) इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या कारित किये जाने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया है। अतः अभियोजन द्वारा घटना के संबंध में प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अब अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार किया जाना है। अभियोजन

द्वारा अभियुक्त मंगल उईका के मेमोरेण्डम के आधार पर घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता दर्शायी गयी है। अतः अभियुक्तगण के संबंध में की गयी मेमोरेण्डम की कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि मेमोरण्डम की कार्यवाही प्रत्यक्ष साक्ष्य की श्रेणी का साक्ष्य नहीं है, बल्कि उक्त कार्यवाही अप्रत्यक्ष साक्ष्य अर्थात परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रेणी का साक्ष्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***Hanumant v. State of M.P.,*** **(1952) 2 SCC 71** के मामले में अभिनिर्धारित किया गया था कि–

> **12.** It is well to remember that in cases where the evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should in the first instance be fully established, and all the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. Again, the circumstances should be of a conclusive nature and tendency and they should be such as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. In other words, there must be a chain of evidence so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused and it must be such as to show that within all human probability the act must have been done by the accused... ....

17) इस प्रकार उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस प्रकृति का होना आवश्यक है कि ऐसी परिस्थितियों से अभियुक्त की दोषिता के अतिरिक्त अन्य सभी परिकल्पनाएं खारिज हो जायें। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Sharad**

Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116 के मामले में पांच स्वर्णिम सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं, जो कि निम्नानुसार हैः–

> 153. A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established:
>
> (1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.
>
> (2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,
>
> (3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency,
>
> (4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and
>
> (5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

18) अतः उक्त न्यायदृष्टांतों में स्पष्ट किये गये परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांतो के अनुरूप अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उक्त संबंध में प्रकरण के विवेचक विनीत कुमार साहू अ०सा०–07 ने अपने अभिकथन में बताया है कि दिनांक 14/01/2025 को अभियुक्त मंगल उईका का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–05 लेखबद्ध किया था, जिसमें अभियुक्त ने बताया था कि घटना के समय वह मेड़ में छुपा हुआ था और उसे ग्राम

कमकानार के सन्तू हेमला एवं लखू ने देखा था। मेमोरेण्डम साक्षी राजेन्द्र तेलम अ०सा०–06 एवं चौबे सिंह ठाकुर अ०सा०–10 ने अपने–अपने अभिकथन में बताया है कि वे अभियुक्तगण को नहीं पहचानते हैं। उनके समक्ष अभियुक्त मंगल उईका से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–05 लेखबद्ध नहीं किया गया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षियों ने मेमोरेण्डम कार्यवाही की पुष्टि नहीं की है।

19) इस प्रकार विवेचक विनीत कुमार साहू अ०सा०–07 द्वारा अभियुक्त मंगल उईका के मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–05 को केवल अपराध स्वीकारोक्ति के रूप में तैयार किया गया है, किन्तु उक्त मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त किसी वस्तु की जप्ती अभियुक्त की निशानदेही पर नहीं की गयी है। भा०सा०अधि० की धारा 27 के अंतर्गत किसी अपराध के अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में किये गये कथन का केवल उतना भाग साक्ष्य में ग्राह्य होता है, जितने भाग से किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Mohd. Inayatullah v. State of Maharashtra, (1976) 1 SCC 828** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

> **11.** Although the interpretation and scope of Section 27 has been the subject of several authoritative pronouncements, its application to concrete cases is not always free from difficulty. It will therefore be worthwhile at the outset, to have a short and swift glance at the section and be reminded of its requirements. The section says:
>
> "Provided that, when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any

offence, in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved."

12. The expression "provided that" together with the phrase "whether it amounts to a confession or not" show that the section is in the nature of an exception to the preceding provisions particularly Sections 25 and 26. It is not necessary in this case to consider if this section qualifies, to any extent, Section 24, also. It will be seen that the *first* condition necessary for bringing this section into operation is the *discovery of a fact*, albeit a relevant fact, in consequence of the information received from a person accused of an offence. The *second* is that the discovery of such fact must be deposed to. The *third* is that at the time of the receipt of the information the accused must be in police custody. The *last* but the most important condition is that only "so much of the information" as relates *distinctly* to the fact *thereby* discovered is admissible. The rest of the information has to be excluded. The word "distinctly" means "directly", "indubitably", "strictly", "unmistakably". The word has been advisedly used to limit and define the scope of the provable information. The phrase "distinctly relates to the fact thereby discovered" is the linchpin of the provision. This phrase refers to that part of the information supplied by the accused which is the *direct* and *immediate* cause of the discovery. The reason behind this partial lifting of the ban against confessions and statements made to the police, is that if a fact is actually discovered in consequence of information given by the accused, it affords some guarantee of truth of that part, and that part

only, of the information which was the clear, immediate and proximate cause of the discovery. No such guarantee or assurance attaches to the rest of the statement which may be indirectly or remotely related to the fact discovered.

13. At one time it was held that the expression "fact discovered" in the section is restricted to a physical or material fact which can be perceived by the senses, and that it does not include a mental fact (see *Sukhan* v. *Crown* [AIR 1929 Lah 344] ; *Rex* v. *Ganee* [AIR 1932 Bom 286]). Now it is fairly settled that the expression "fact discovered" includes not only the physical object produced, but also the place from which it is produced and the knowledge of the accused as to this (see *Palukuri Kotayya* v. *Emperor* [AIR 1947 PC 67] ; *Udai Bhan* v. *State of Uttar Pradesh* [AIR 1962 SC 1116]).

20) इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Rajendra Singh And Ors. Vs. State of Uttaranchal ETC. 2025 LiveLaw (SC) 980** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि–

29. We are afraid that the submission of the State counsel, that as the appellants themselves stated that they took the police to the place where they hid the weapons, by which they committed the offence indicates that the appellants admitted to have committed the offence with the above weapons, cannot be accepted. The statement of the appellants that the weapons recovered were the weapons of crime cannot be read against them in view of Sections 25 and 26 read with Section 27 of the Indian Evidence Act, 1872. Only that part of the statement which leads the

police to the recovery of the weapons is admissible, and not the part which alleges that the weapons recovered were actually the weapons of crime.

21) उक्त न्यायदृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि मेमोरेण्डम कथन का केवल वह भाग ही साक्ष्य में ग्राह्य होता है, जो स्पष्ट रूप से उस तथ्य से संबंधित हो, जिसके आधार पर किसी स्थान अथवा वस्तु की खोज की गयी हो। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त मंगल उईका के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सके। इस प्रकार अभियुक्त मंगल उईका का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–05 साक्ष्य में ग्राह्य न होने के कारण उक्त आधार पर घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है। अतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

22) उपरोक्त विवेचना का सार यह है कि प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा मृतक मुकेश हेमला की हत्या कारित किये जाने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया है। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति घटना के समय प्रमाणित नहीं की है। मेमोरेण्डम के साक्षियों ने उक्त कार्यवाही को प्रमाणित नहीं किया है। मेमोरेण्डम कथन साक्ष्य में ग्राह्य न होने के कारण उक्त आधार पर भी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्तगण को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सक्रिय सदस्य के रूप में आतंकवादी कृत्य कारित करने एवं उक्त संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध कारित करने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया है। अभियुक्तगण के आधिपत्य से किसी प्रकार का अग्नायुध जप्त नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित किये जाने हेतु अभिलेख पर पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य न

CGDA010005222025

होने के कारण उनके विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है। फलतः **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं''** में दिया जाता है।

23) फलतः अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बलवा कारित किया तथा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मृतक मुकेश हेमला का अपहरण कर टंगिया एवं चाकू से मारकर हत्या कारित किया तथा अपने आधिपत्य में अवैध अग्नायुध रखा तथा प्रतिबंधित आतंकी संगठन भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सक्रिय सदस्य रहकर आतंकवादी कृत्य कर मृतक मुकेश हेमला की हत्या कारित किया तथा उक्त संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध कारित किया।

24) उक्त अनुसार **अभियुक्त मंगल उईका, गोपाल बोड्डू** को **भा०न्या०सं० की धारा 191(3), 140(1) सहपठित धारा 190, 103(1) सहपठित धारा 190, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ख)(क) एवं वि०वि०क्रि०नि०अधि० की धारा 16 (1)(क), 38 (2)** के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर रिहा किया जाता है।

25) प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण के फरार होने के कारण जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

26) **धारा 481 भा०ना०सु०सं०** के अंतर्गत अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत बंधपत्र निर्णय पश्चात नियत समयावधि तक विस्तारित रहेंगे।

27) **धारा 406 भा०ना०सु०सं०** के अंतर्गत निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट बीजापुर को प्रेषित की जावे।

CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

28) प्रकरण में **भा०ना०सु०सं० की धारा 396 के अंतर्गत पीडित प्रतिकर स्कीम** के अनुसार मृतक मुकेश हेमला पिता सन्नू हेमला, उम्र–34 वर्ष, ग्राम रेड्डी गुनापारा गंगालूर, थाना–गंगालूर, जिला–बीजापुर (छ०ग०) के विधिक वारिसानों को पात्रता अनुसार समुचित प्रतिकर प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है। उक्त अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय की प्रति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द०ब०दंतेवाड़ा (छ०ग०) को प्रेषित की जावे।

29) इस प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभिरक्षा की अवधि हेतु पृथक से धारा 468 भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

स्थानः– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)

दिनांकः–10/07/2026

मेरे कहे अनुसार टंकित एवं खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

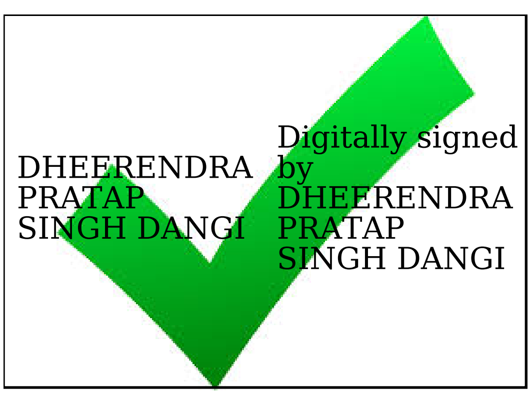

सही/–
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह दाँगी)
विशेष न्यायाधीश
एन० आई०ए०/अनुसूचित अपराध
राजस्व जिला सुकमा, बीजापुर
स्थान–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)

CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश (एन० आई०ए० एक्ट/अनुसूचित अपराध राजस्व जिला–सुकमा एवं बीजापुर) स्थान दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारीः–धीरेन्द्र प्रताप सिंह दाँगी)

एन० आई०ए० अनुसूचित अपराध प्रकरण क्रमांकः– 37/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध संजू वासम व अन्य

<u>अभिरक्षा की अवधि के संबंध में प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 468 भा०ना०सु०सं०</u>

01. अभियुक्त का नाम	–	मंगल उईका
02. पिता का नाम	–	बुधु उईका
03. आयु	–	38 वर्ष
04. निवासी	–	कमकानार तेलंगापारा, थाना–गंगालूर, जिला–बीजापुर (छ०ग०)
05. गिरफ्तारी का दिनांक व समय	–	दिनांक 14/01/2025 19:25 बजे,
06. पुलिस अभिरक्षा की अवधि	–	निरंक
07. न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	–	दिनांक 15/01/2025 से दिनांक 10/07/2026 तक
08. अभिरक्षा की कुल अवधि	**–**	**541 दिवस**

स्थानः–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)
दिनांकः–10/07/2026

सही/–
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह दाँगी)
विशेष न्यायाधीश
एन० आई०ए०/अनुसूचित अपराध
राजस्व जिला सुकमा, बीजापुर
स्थान–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)

CGDA010005222025

एन०आई०ए० अनुसूचित
अपराध प्रकरण क्रमांक–33/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध मंगल उईका व अन्य

न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश (एन० आई०ए० एक्ट/अनुसूचित अपराध राजस्व जिला–सुकमा एवं बीजापुर) स्थान दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारीः–धीरेन्द्र प्रताप सिंह दाँगी)

एन० आई०ए० अनुसूचित अपराध प्रकरण क्रमांकः– 37/2025
छ०ग० राज्य विरूद्ध संजू वासम व अन्य

अभिरक्षा की अवधि के संबंध में प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 468 भा०ना०सु०सं०

01. अभियुक्त का नाम	–	गोपाल बोड्डू
02. पिता का नाम	–	बुधु
03. आयु	–	47 वर्ष
04. निवासी	–	कमकानार, थाना–गंगालूर, जिला–बीजापुर (छ०ग०)
05. गिरफ्तारी का दिनांक व समय	–	दिनांक 16/04/2025 13:35 बजे,
06. पुलिस अभिरक्षा की अवधि	–	निरंक
07. न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	–	दिनांक 16/04/2025 से दिनांक 10/07/2026 तक
08. अभिरक्षा की कुल अवधि	**–**	**450 दिवस**

स्थानः–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)
दिनांकः–10/07/2026

सही/–
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह दाँगी)
विशेष न्यायाधीश
एन० आई०ए०/अनुसूचित अपराध
राजस्व जिला सुकमा, बीजापुर
स्थान–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)